



न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, नजीबाबाद जनपद बिजनौर

फौ0 वाद सं0— 349/2021

सरकार

बनाम

चमन सिंह

मु0अ0स0— 418/2020

थाना—नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

आरोप

मैं, अखिल कुमार निझावन, सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, नजीबाबाद जनपद बिजनौर आप **चमन सिंह** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ—

यह कि दिनांक 23-08-2020 को समय करीब 18-20 बजे स्थान निकट वैष्णो भोजनालय, कस्बा जलालाबाद, सीमान्तर्गत थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर में आप पुलिस द्वारा पकड़े गये और आपके कब्जे से एक जरीकैन में बीस लीटर कच्ची शराब बरामद हुई तथा शराब रखने का लाईसेंस तलब करने पर आप दिखाने से कासिर रहे। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक: 04-12-2021

(अखिल कुमार निझावन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद
बिजनौर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण किये जाने की याचना की।

दिनांक: 04-12-2021

(अखिल कुमार निझावन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद
बिजनौर।